न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री समदर सिंह भाटी, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 48 / 2024

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

वादीगण	प्रतिवादीगण
1. देवाराम वल्द काना उम्र 43 वर्ष 2. अनिल पुत्र चेनाराम नाबालिग कुररती वली माता पवनीदेवी 3. अशोक पुत्र चेनाराम नाबालिग कुररती वली माता पवनीदेवी 4. आरती पुत्री चेनाराम नाबालिग कुररती वली माता पवनीदेवी 5. नारंगी पुत्री चेनाराम नाबालिग कुररती वली माता पवनीदेवी 6. वर्षा पुत्री चेनाराम नाबालिग कुररती वली माता पवनीदेवी 7. हुआ पुत्री चेनाराम नाबालिग कुररती वली माता पवनीदेवी 8. पवनी पत्नी चेनाराम उम्र 33 वर्ष 9. दरिया पत्नी काना उम्र 60 वर्ष जाति मेघवाल निवासी लोलावा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा।	1. बाबू वल्द वागा उम्र 48 वर्ष 2. देवा वल्द वागा उम्र 45 वर्ष 3. करसण वल्द वागा उम्र 41 वर्ष 4. रामा वल्द चिमना फौत के कायमुकाम 4/1 चम्पादेवी पुत्री रामाराम उम्र 32 वर्ष 4/2 डालूदेवी पत्नी रामाराम उम्र 55 वर्ष 4/3 रखूदेवी पुत्री रामाराम उम्र 28 वर्ष 4/4 लीलादेवी पुत्री रामाराम उम्र 25 वर्ष 4/5 सूजीदेवी पत्नी रामाराम उम्र 20 वर्ष 4/6 मंगलाराम पुत्र रामाराम उम्र 30 वर्ष 4/7 सांवलाराम पुत्र रामाराम उम्र 22 वर्ष 5. भीमाराम वल्द गंगाराम उम्र 43 वर्ष 6. राणाराम वल्द तारा उम्र 48 वर्ष 7. प्रतापाराम वल्द तारा उम्र 46 वर्ष 8. सवाराम वल्द तारा उम्र 44 वर्ष जाति मेघवाल निवासी लोलावा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा। 9. शाखा प्रबंधक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा सड़ा। 10. तहसीलदार सिणधरी ।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति—

1. श्री जोगराज पोटलिया, अधिवक्ता वादीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री पाबूराम बेनीवाल अधिवक्ता प्रतिवादी सं 5 से 8 की ओर से उपस्थित।
3. प्रतिवादी सं. 10 के पैरोकार उप.। शेष एकतरफा।

निर्णय

Signature Not Verified

Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2025.12.21 10:58:37 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक— 26.11.2025

संक्षिप्त में वादपत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि मौजा लोलावा के खेत खसरा नम्बर 103, 57, 66 रकबा क्रमशः 6.5448, 0.9627, 2.6940 हेक्टेयर कुल रकबा 10.2015 हेक्टेयर के

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

मे प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 26.06.2025 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार णधरी को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था।

तहसीलदार सिणधरी द्वारा आदेश की पालना में न्यायालय द्वारा पारित माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तहसील सिणधरी में अवस्थित भूमि के मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे वादी अधिवक्ता की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार भी किया गया।

लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा लोलावा के खेत खसरा नम्बर 103, 57, 66 रकबा क्रमशः 6.5448, 0.9627, 2.6940 हैक्टेयर कुल' रकबा 10.2015 हैक्टेयर भूमि के संबंध मे विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	ग्राम	खसरा नं.	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान	बरंग
1.	देवाराम/कानाराम 1/3 दरिया पत्नि कानाराम 1/3 अनिल/चेनाराम 1/21 अशोक/चेनाराम आरती पुत्री चेनाराम 1/21 नारंगी पुत्री चेनाराम 1/21, वर्षा पुत्री चेनाराम 1/21, हुआ पुत्री चेनाराम 1/21, पवनी पत्नि चेनाराम 1/21 जाति मेगवाल सा. देह खातेदार	लोलावा	103	1.0908	बा.दो.	0.18	गुलाबी
			57	0.1605	बा.दो.	**0.02**	
			66	0.4490	बा.दो.	**0.07**	
			योग	**1.7003**			
2	करसन/ वागा 1/15, देवा/वागा 1/15, बाबु/वागा 1/15, डालूदेवी/ रामाराम 1/35, मंगलाराम/रामाराम 3/35, सांवलाराम/ रामाराम 3/35, प्रतापाराम/ताराराम 3/20, राणाराम/ताराराम 3/20, सवाराम/ताराराम 3/20, भीमाराम/गंगाराम 3/40, लेहरोदेवी/गंगाराम 3/40 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार रहन–प्रतापाराम का हि. आर.एम.जी.बी. सड़ा	लोलावा	103	5.4540	बा.दो.	0.87	हरा
			57	0.8022	बा.दो.	0.13	
			66	2.2450	बा.दो.	0.36	
			योग	**8.5012**	**बा.दो.**		

तहसीलदार सिणधरी को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामांतरकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रुप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Samandar Singh Bhati
Date: 2025.12.21 10:58:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 26.11.2025 को लिखा जाकर न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,सिणधरी

पीठासीन अधिकारीः— श्री समदर सिंह भाटी, आर.ए.एस.

उनवान

वादीगण	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
1. देवाराम वल्द काना उम्र 43 वर्ष 2. अनिल पुत्र चेनाराम नाबालिग कुररती वली माता पवनीदेवी 3. अशोक पुत्र चेनाराम नाबालिग कुररती वली माता पवनीदेवी 4. आरती पुत्री चेनाराम नाबालिग कुररती वली माता पवनीदेवी 5. नारंगी पुत्री चेनाराम नाबालिग कुररती वली माता पवनीदेवी 6. वर्षा पुत्री चेनाराम नाबालिग कुररती वली माता पवनीदेवी 7. हुआ पुत्री चेनाराम नाबालिग कुररती वली माता पवनीदेवी 8. पवनी पत्नी चेनाराम उम्र 33 वर्ष 9. दरिया पत्नी काना उम्र 60 वर्ष जाति मेघवाल निवासी लोलावा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा।		1. बाबू वल्द वागा उम्र 48 वर्ष 2. देवा वल्द वागा उम्र 45 वर्ष 3. करसण वल्द वागा उम्र 41 वर्ष 4. रामा वल्द चिमना फौत के कायमुकाम 4/1 चम्पादेवी पुत्री रामाराम उम्र 32 वर्ष 4/2 डालूदेवी पत्नी रामाराम उम्र 55 वर्ष 4/3 रखूदेवी पुत्री रामाराम उम्र 28 वर्ष 4/4 लीलादेवी पुत्री रामाराम उम्र 25 वर्ष 4/5 सूजीदेवी पत्नी रामाराम उम्र 20 वर्ष 4/6 मंगलाराम पुत्र रामाराम उम्र 30 वर्ष 4/7 सांवलाराम पुत्र रामाराम उम्र 22 वर्ष 5. भीमाराम वल्द गंगाराम उम्र 43 वर्ष 6. राणाराम वल्द तारा उम्र 48 वर्ष 7. प्रतापाराम वल्द तारा उम्र 46 वर्ष 8. सवाराम वल्द तारा उम्र 44 वर्ष जाति मेघवाल निवासी लोलावा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा। 9. शाखा प्रबंधक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा सड़ा। 10. तहसीलदार सिणधरी ।

दावा बाबतः— 88,53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर :— 48/2024

निर्णय दिनांक :— 26.11.2025

वादीगण की ओर से श्री जोगराज पोटलिया अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 5 से 8 की ओर से श्री पाबूराम बेनीवाल अधिवक्ता तथा प्रतिवादी सं. 12 की ओर राज. पैरोकर की उपस्थिति एवं शेष की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 26.11.2025 को **श्री समदर सिंह भाटी** (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी सिणधरी के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और **डिक्री दी जाती है किः**— वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 26.11.2025 मे अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से घोषित की जाती है। तहसीलदार सिणधरी को आदेश दिये जाते है,कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज तारीख 26.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर,सिणधरी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4.........रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों के लिए निर्वाह—व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामिल		1.शक्ति [illegible] लिए 2.अर्जी [illegible] स्टाम्प 3.प्लीडर की [illegible] 4.साक्षियों के लि[illegible] व्यय 5.आदेशिका की [illegible] 6.कमिश्नर की [illegible]	
जोड़		जोड़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2025.12.21 10:58:37 IST
Reason: SelfAttested